Central Pollution Control Board
(Ministry of Environment, Forest & Climate Change)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi-110032

No. C-22017/10/2016/Admn./(Coord.)/HCC/ Date: 17.04.2018
18

CIRCULAR

Sub: Grant of permission for treatment of Central Government employees and the member of their family in any of the hospital recognised by the State Government/CGHS Rules/CS (MA) Rules, 1944 - reg.

Pursuant to the Office Memorandums F. No. S-14025/7/2000-MS dated 28.03.2000 and OM F. No. S-14021/06/2005-MS dated 04.01.2007 of the Ministry of Health & Family Welfare on the above cited subject, it is hereby informed that the Competent Authority, CPCB has approved to implement the decision of Ministry of Health & Family Welfare's above referred OM dated 28.03.2000 and 04.01.2007 for the employees of CPCB which states that:-

"The Central Government employees and the members of their families may be permitted to avail of medical facilities in any of the Central Government, State Governments hospital and the hospitals recognised by the State Government/CGHS Rules/CS (MA) Rules, 1944, as well as the hospitals fully funded by either Central Government or the State Government subject to the condition that they will be reimbursed the medical expenditure at the rates fixed by the Government under the CGHS Rules/CS (MA) Rules, 1944 or the actual expenditure incurred, which is less. In other words, the permission can be granted by the Head of Ministry/Department/Office to the Central Government employees/members of their families to obtain medical services from any of the private hospitals recognised under CGHS in the 24 CGHS covered cities also. In view of this decision, there is no objection if the Central Government employees also undertake medical treatment in any of the Hospitals for the procedures for which the hospitals are already recognised by the concerned State Governments.

If the treatment for a particular disease/procedure is available in the same city where the Government Servant is employed, he may be permitted to avail of the medical services in any other city of his choice but in such cases, he will not be eligible for sanction of T.A./D.A. In case the treatment for a particular disease/procedure is not available at the same station, the beneficiary will be eligible for sanction of T.A. of his entitled class for taking treatment in a different city".

This is being issued with the approval of Competent Authority, CPCB.

18/04/18
(Jugesh Kumar)
Sr. Administrative Officer

Distribution:

1. All the Divisional Heads at Head Office, Delhi : With a request to circulate it among the staff members posted in their division/section.
2. All Regional Directors of CPCB, Regional Directorates : With a request to circulate it among the staff members posted in their Regional Directorates.
3. PS to CCB for kind information of CCB.
4. PS to MS for kind information of MS.
5. ACO-II for kind information please.
6. I/c IT Division with a request to upload the circular on the CPCB website.
7. All Notice Boards of Parivesh Bhawan, Delhi.

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली - 110032

संख्या सी-22017/10/2016/प्रशा./(समन्वयन)/एचसीसी/44 दिनांक 17.04.2018
18

परिपत्र

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए राज्य सरकार/ सीजीएचएस नियम/ सीएस (एमए) नियम, 1944 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अस्पताल में उपचार के लिए अनुमति के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. एस-14025/7/2000-एमएस दिनांक 28.03.2000 और कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. एस-14021/06/2005-एमएस दिनांक 04.01.2007 के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि के.प्र.नि.बो. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऊपर दिए गए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.03.2000 और 04.01.2007 के निर्णय को के.प्र.नि.बो. के कर्मचारियों के लिए लागू करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें कहा गया है:-

"केन्द्र सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को किसी भी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के अस्पतालों और राज्य सरकार/ सीजीएचएस नियम/ सीएस (एमए) नियम, 1944 द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने की अनुमति दी जा सकती है, इस शर्त के अधीन कि उन्हें सीजीएचएस नियम/ सीएस (एमए) नियम, 1944 के तहत, सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर या खर्च किए गए वास्तविक व्यय पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो भी कम है। दूसरे शब्दों में, सीजीएचएस के अंतर्गत शामिल 24 शहरों में सीजीएचएस के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी निजी अस्पताल से चिकित्सा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/ उनके परिवारों के सदस्यों को मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय के प्रमुख द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यदि कैंद्र सरकार के कर्मचारी किसी भी अस्पताल जो अस्पताल पहले ही संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

यदि किसी विशेष रोग/ प्रक्रिया का इलाज उसी शहर में उपलब्ध है जहां सरकारी कर्मचारी का कार्यरत है, तो उसे अपनी इच्छानुसार किसी भी अन्य शहर में चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी सकती हैं लेकिन ऐसे मामलों में, वह यात्रा भत्ता/ मँहगाई भत्ता की स्वीकृति के पात्र नहीं होंगे। यदि किसी विशेष बीमारी के लिए उपचार/प्रक्रिया कर्मचारी के कार्यरत शहर में उपलब्ध नहीं है, तो लाभार्थी अन्य किसी शहर में उपचार के लिए अपनी पात्रता के अनुसार यात्रा भत्ता का पात्र होगा।"

सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन से यह जारी किया जा रहा है।

18/04/18
(जुगेश कुमार)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1.	सभी प्रभाग प्रमुख, मुख्यालय, दिल्ली	:	कृपया इसे अपने प्रभाग/ अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों में परिचालित करें।
2.	के.प्र.नि.बो. के सभी क्षेत्रीय निदेशकों, क्षेत्रीय निदेशालय	:	कृपया इसे अपने प्रभाग/ अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों में परिचालित करें।
3.	अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड के निजी सचिव-	:	सूचनार्थ
4.	सदस्य सचिव के निजी सचिव-	:	सूचनार्थ
5.	लेखा अधिकारी-II के निजी सचिव-	:	सूचनार्थ
6.	प्रभारी, आईटी प्रभाग	:	कृपया इस परिपत्र को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7.	सभी सूचनापट्ट।		